

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 391

थाना- कांड संख्या- वर्ष-0, थाना- जिला- सिवान से उत्पन्न

=====

1. नंद जी सिंह पिता स्वर्गीय हरे राम सिंह, निवासी- गाँव-चांदपरस, थाना-एम.एच.नगर (हसनपुरा), जिला- सिवान।
2. सवालिया सिंह पिता हरे राम सिंह, निवासी- गाँव-चांदपरस, थाना-एम.एच.नगर (हसनपुरा), जिला-सिवान।
3. रवींद्र कुमार सिंह पिता स्वर्गीय पीतांबर सिंह, निवासी- गाँव-चांदपरस, थाना-एम.एच.नगर (हसनपुरा), जिला-सिवान।
4. जितेंद्र प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय पीतांबर सिंह, निवासी- गाँव-चांदपरस, थाना-एम.एच.नगर (हसनपुरा), जिला-सिवान।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. बिक्रमा राम पिता स्वर्गीय सुबा राम, निवासी- गाँव- पकारी, थाना-एम. एच. नगर (हसनपुरा), जिला-सिवान
3. चंद्रमा राम पिता स्वर्गीय सुबा राम, निवासी-गाँव- पकारी, थाना-एम. एच. नगर (हसनपुरा), जिला-सिवान
4. अवधेश राम पिता स्वर्गीय सुबा राम, निवासी-गाँव-पकारी, थाना-एम. एच. नगर (हसनपुरा), जिला-सिवान
5. मोसाफिर राम पिता स्वर्गीय गंगा राम, निवासी- गाँव- पकारी, थाना-एम. एच. नगर (हसनपुरा), जिला-सिवान

..... उत्तरदाता/गण

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री चंद्र सेन प्रसाद सिंह, अ.लो.अ.

ओ. पी. संख्या 2 से 5 के लिए : श्री उदित नारायण सिंह, अधिवक्ता

=====

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- धारा 144, 145 दं०प्र०सं०

संदर्भित मामले:

- अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (2013) 3 एससीसी 366
- शरद यादव उर्फ गप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 एससीसी ऑनलाइन सभी 4840
- मधु शर्मा बनाम अजीत शर्मा (2013) 2 गौहाटी लॉ रिपोर्ट 837
- ब्रह्मपुत्र आयरन एंड स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रेमचंद तोलाराम बबना चैरिटेबल ट्रस्ट, असम, 2012 क्रि.एल.जे. (एनओसी) 375 (गौ)
- शांति कुमार पांडा बनाम शकुंतला देवी (2004) 1 एससीसी 438
- रणबीर सिंह बनाम दलबीर सिंह और अन्य। (2002) 3 एससीसी 700
- प्रकाश चंद सचदेवा बनाम. पी.आर. एवं अन्य. (1994) 1 एससीसी 471
- चंदू नाइक बनाम. सीताराम बी. नाइक (1978) 1 एससीसी 210
- आर.एच. भूटानी बनाम. मणि जे. देसाई 1968 एससीसी ऑनलाइन एससी 5
- भिनिका बनाम. चरण सिंह, एआईआर 1959 एससी 960
- मोहम्मद अंसारुद्दीन बनाम. असम राज्य (2008) क्रि.एल.जे. (एनओसी) 479 (गौ)
- क्रिस्टालिन कोस्टा बनाम। गोवा राज्य 1993 एमएचएलजे 1409
- तारुलता देवी बनाम. निखिल बंधु मिश्रा 1982 एससीसी ऑनलाइन गौ 35

याचिका- यह याचिका उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए, विचारण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया था।

न्यायालय का निर्णय:

धारा 145 दं.प्र.सं के तहत की जाने वाली जाँच केवल इस प्रश्न तक सीमित होती है कि रिपोर्ट या सूचना की तिथि को वास्तविक कब्जे में कौन था, चाहे संपत्ति का स्वामित्व या कब्जे का अधिकार किसी के भी पास हो। इस प्रावधान का उद्देश्य त्वरित और संक्षिप्त उपाय प्रदान करना है, जिससे संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद कर रहे पक्षों के बीच शांति भंग होने से रोका जा सके और विवाद का समाधान कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जा सके। (पैरा 14)

धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू करने की पूर्व-शर्त यह है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह संतुष्टि हो कि संबंधित संपत्ति के वास्तविक कब्जे को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है। यह संतुष्टि उस प्रारंभिक आदेश में उल्लिखित आधारों पर आधारित होनी चाहिए, जिसे धारा 145(1) दं.प्र.सं के तहत पारित किया जाता है। (पैरा 15)

सार्वजनिक व्यवस्था और शांति का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। यदि कोई विवाद केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, जो उस विवाद के पक्षकार हैं, तो उसे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका वाला विवाद नहीं माना जा सकता। ऐसे निजी दीवानी विवादों का अधिकार क्षेत्र केवल दीवानी न्यायालय के पास होता है। (पैरा 16)

इसलिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को केवल उन्हीं मामलों में धारा 145 दं.प्र.सं के तहत अपना अधिकार क्षेत्र लागू करना चाहिए, जहाँ सार्वजनिक शांति और व्यवस्था भंग होने की आशंका हो। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। (पैरा 17)

जिस आदेश के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू की थी, उसमें केवल यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों का विवाद संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे को लेकर है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस विवाद को बिना जाँच के हल करने में असमर्थ थे, इसलिए कार्यवाही शुरू की गई। हालाँकि, अपने प्रारंभिक आदेश में कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने यह नहीं बताया कि कब्जे को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है, और न ही इसके लिए कोई आधार दिया। (पैरा 19)

उक्त तथ्य और परिस्थितियाँ एक निजी दीवानी विवाद को दर्शाती हैं, जिसका निपटारा केवल दीवानी न्यायालय में किया जा सकता है। (पैरा 21)

सत्र न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण में पारित आदेश और कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 145 दं.प्र.सं के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाता है। (पैरा 23)

पक्षकार स्वतंत्र हैं कि वे यदि उचित समझें तो अपने अधिकारों के निर्धारण हेतु दीवानी न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। (पैरा 24)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

तारीख: 20-02-2025

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को याचिकाकर्ताओं द्वारा 2001 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 44 में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-VI, सिवान द्वारा पारित दिनांक 30.11.2018 के विवादित आदेश के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायालय ने 2000 के मुकदमे संख्या 22 में धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट, महाराजगंज द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार करते हुए पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी है और विवादित भूमि पर प्रथम पक्ष सुबा राम के कब्जे की पुष्टि की जाती है और दूसरा पक्ष जो यहां याचिकाकर्ता हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे विचाराधीन भूमि पर प्रथम पक्ष के कब्जे में हस्तक्षेप न करें।

2. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की 15.10.1988 की रिपोर्ट को देखते हुए, धारा 144 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, भूमि विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव व्याप्त था। हालाँकि, बाद में 31.12.1988 के आदेश द्वारा, धारा 144 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही बंद कर दी गई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू की गई।

3. प्रारंभिक आदेश दिनांक 31.12.1988 के अनुसार, जिसके तहत धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि विचाराधीन भूमि की खतियानी रियासत जीता चमार है। हालाँकि, प्रथम पक्ष सुबा राम का दावा है कि वह उक्त जीता चमार के कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारी हैं। वह यह भी दावा कर रहा है कि

विचाराधीन संपत्ति पर उसका कब्जा है। उनके दावे के अनुसार, भूमि के कुछ हिस्से पर कुछ घर भी बनाए गए हैं। हालाँकि, दूसरे पक्ष के अनुसार, जो यहाँ याचिकाकर्ता हैं, उन्हें यह भूमि बंधक आदेश/डिक्री के निष्पादन में मिली है और वे सरकार को भूमि राजस्व का भुगतान भी कर रहे हैं। इसलिए, विद्वान एस. डी. एम. ने पाया कि कब्जे के संबंध में पक्षों के बीच विवाद है और उसके लिए यह तय करना संभव नहीं है कि वास्तविक कब्जे में कौन है, इसलिए, धारा 145 दं.प्र.सं के तहत जांच की आवश्यकता है।

4. धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने लिखित बयान दायर किए और अपने दावे के समर्थन में अपने गवाहों से पूछताछ की। जांच के बाद, विद्वान एस. डी. एम. दिनांक 16.11.2000 के आदेश द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दूसरे पक्षकार जो यहाँ याचिकाकर्ता हैं, विवादग्रस्त भूमि के कब्जे में थे और पहले पक्षकार जो ओ. पी. संख्या 2 से 5 हैं, इस संबंध में सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किसी भी आदेश तक दूसरे पक्षकार के शांतिपूर्ण कब्जे में गड़बड़ी पैदा करने से प्रतिबंधित हैं।

5. तत्पश्चात, प्रथम पक्ष सुबा राम ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 44/2001 प्रस्तुत किया, जिसमें विद्वान सत्र न्यायालय ने कार्यपालक दंडाधिकारी के दिनांक 16.11.2000 के आदेश को उनके दिनांक 26.08.2011 के आदेश के अनुसार निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 26.08.2011 के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1121/2012 प्रस्तुत किया, जिसमें इस न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2011 को पारित उक्त आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें विद्वान सत्र न्यायालय ने मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के लिए सत्र न्यायालय को वापस भेज दिया। तत्पश्चात, आरोपित आदेश पारित किया गया, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायालय ने अधिशासी मजिस्ट्रेट, महाराजगंज द्वारा पारित दिनांक 16.11.2000 के आरोपित आदेश को निरस्त करते हुए आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति दी तथा माना कि प्रथम पक्ष सुबा राम ही प्रश्नगत संपत्ति के कब्जे में है।

6. मैंने याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील और राज्य के लिए विद्वान एपीपी के साथ-साथ ओ. पी. संख्या 2 से 5 के लिए विद्वान वकील को सुना।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अपनी दलील की पुष्टि करने के लिए, वह आगे प्रस्तुत करता है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने गलत निर्णय दिया है कि ओ. पी. संख्या 2 से 5, जो विद्वान एस. डी. एम. से पहले प्रथम पक्ष के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, के पास विषय संपत्ति है। वास्तव में, यह याचिकाकर्ता हैं जिनके पास संपत्ति का

अधिकार/स्वामित्व है क्योंकि उन्हें यह संपत्ति एक डिक्री के निष्पादन में मिली है और वे इसके कब्जे में भी हैं। वे सरकार को भूमि राजस्व भी दे रहे हैं।

8. वह आगे प्रस्तुत करता है कि तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, सार्वजनिक शांति के किसी भी उल्लंघन की कोई आशंका नहीं थी, जो विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 145 दं.प्र.सं के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान/को लागू करने के लिए अनिवार्य है। तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, विवाद के पक्षों के बीच केवल स्वामित्व और कब्जे के संबंध में विवाद है। इसलिए, विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करने का कोई अवसर नहीं था

9. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान एपीपी और ओ. पी. सं. 2 से 5 तक के लिए विद्वान सलाहकार प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज होने योग्य है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि ओ. पी. नंबर 2 से 5 तक प्रथम पक्ष सुबा राम के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जो खतियानी रैयत जीता चमार के कानूनी उत्तराधिकारी थे और वे विचाराधीन संपत्ति के कब्जे में हैं। उन्होंने भूमि के कुछ हिस्से पर घर भी बनाए हैं।

10. मैंने पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

11. पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की सीमा और दायरा क्या है, जो इस प्रकार है:-

“145. प्रक्रिया जहाँ भूमि या पानी/जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना हो- (1)जब भी कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी से संतुष्ट होता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं के संबंध में शांति भंग करने की संभावना वाला कोई विवाद मौजूद है, तो वह, अपने इतने संतुष्ट होने के आधार को बताते हुए, लिखित रूप में एक आदेश देगा, और ऐसे विवाद में संबंधित पक्षों से एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थित

होने की अपेक्षा करेगा, और विवाद के विषय के वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में अपने-अपने दावों के लिखित बयान देने की अपेक्षा करेगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भूमि या जल" पद में भवन, बाजार, मत्स्य पालन, फसलें या भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति का किराया या लाभ शामिल हैं।

(3) आदेश की एक प्रति इस संहिता द्वारा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर समन की तामिल के लिए निर्धारित तरीके से तामिल की जाएगी जैसा मजिस्ट्रेट निर्देशित कर सकता है, और कम से कम एक प्रति विवाद के विषय के पास या उसके निकट किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी।

(4) मजिस्ट्रेट तब, विवाद के विषय को प्राप्त करने के अधिकार के लिए किसी भी पक्ष के गुण-दोष या दावों के संदर्भ के बिना, इस प्रकार दिए गए बयानों का अध्ययन करेगा, पक्षों को सुनेगा, ऐसे सभी साक्ष्य प्राप्त करेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ऐसे और साक्ष्य, यदि कोई हों, जो वह आवश्यक समझे, लेगा और यदि संभव हो, तो यह तय करेगा कि क्या कोई और कौन से पक्षकार, उप-धारा (1) के तहत उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर, विवाद के विषय के कब्जे में थे: बशर्ते कि/परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी पक्ष को मजिस्ट्रेट द्वारा किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त करने की तारीख से पहले या उस तारीख के बाद और उप-धारा (1) के तहत उसके आदेश की तारीख से पहले अगले दो महीने के भीतर जबरन और गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया है, तो वह उस पक्ष को इस तरह से बेदखल कर सकता है जैसे कि वह पक्ष इस आदेश की तारीख को उप-धारा (1) के तहत कब्जे में था।

(5) इस धारा की कोई भी बात किसी भी पक्ष को उपस्थित होने के लिए आवश्यक नहीं करेगा, या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति को यह दिखाने से नहीं रोकेगी कि ऐसा कोई विवाद

मौजूद नहीं है जैसा कि पहले कहा गया है, या मौजूद नहीं है और ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन इस तरह के रद्द होने के अधीन, उप-धारा (1) के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम होगा।

(6) (क) यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेता है कि उप-धारा (4) के परन्तुक के तहत पक्षकारों में से एक को उक्त विषय के ऐसे कब्जे में माना जाना चाहिए, तो वह एक आदेश जारी करेगा जिसमें ऐसे पक्षकार को उस पर कब्जा करने का हकदार घोषित करेगा जब तक कि कानून के उचित पाठ्यक्रम में उसे बेदखल नहीं किया जाता है, और इस तरह के निष्कासन तक ऐसे कब्जे के सभी व्यवधान को प्रतिबंधित करेगा; और जब वह उप-धारा (4) के परन्तुक के तहत आगे बढ़ता है, तो वह जबरन और गलत तरीके से बेदखल किए गए पक्ष/ पक्षकार को कब्जा बहाल कर सकता है।

(ख) इस उप-धारा के तहत किया गया आदेश, उप-धारा (3) में निर्धारित तरीके से लागू/तामिल और प्रकाशित किया जाएगा।

(7) जब ऐसी किसी कार्यवाही में किसी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को कार्यवाही में एक पक्षकार बना सकता है और उसके बाद जांच जारी रखेगा, और यदि कोई सवाल उठता है कि ऐसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए मृतक पक्ष का कानूनी प्रतिनिधि कौन है, तो मृतक पक्ष के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को उसमें पक्षकार बनाया जाएगा।

(8) यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि संपत्ति की कोई फसल या अन्य उपज, जो उसके समक्ष लंबित इस धारा के तहत किसी कार्यवाही में विवाद का विषय है, शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या बिक्री के लिए आदेश दे सकता है, और जांच पूरी होने पर, ऐसी संपत्ति या

उसकी बिक्री-आय के निपटान के लिए ऐसा आदेश देगा, जो वह उचित समझे।

(9) मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे, इस धारा के अधीन कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी साक्षी को सम्मन जारी कर सकेगा जिसमें उसे उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने का निर्देश दिया जाएगा।

(10) इस धारा में कुछ भी धारा 107 के तहत आगे बढ़ने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अपमान नहीं माना जाएगा। ”

(जोर दिया गया)

12. धारा 145 दं.प्र.सं, दं.प्र.सं, 1973 के अध्याय X के तहत आती है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने से संबंधित है और धारा 145 से 148 दं.प्र.सं अचल संपत्ति के विवाद से संबंधित है।

13. धारा 145 से 148 तक के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट/प्रतीत होता है कि इसमें वैधानिक प्रावधान कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भूमि या पानी के वास्तविक कब्जे के विवाद के कारण सार्वजनिक शांति के उल्लंघन की आशंका के मामले में निवारक उपाय करने का अधिकार देकर सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए हैं। जब कार्यकारी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या किसी अन्य जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि इस तरह के विवाद से शांति भंग होने की संभावना है, तो वह ऐसी संतुष्टि का आधार बताते हुए धारा 145 (1) दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है और विवाद के विषय के वास्तविक कब्जे के संबंध में संबंधित पक्षों को सुनने के लिए कदम उठा सकता है। हालाँकि, ऐसी सुनवाई के दौरान, मजिस्ट्रेट को विवाद के विषय को रखने के लिए किसी भी पक्ष के स्वामित्व या अधिकार की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाने की आवश्यकता है कि रिपोर्ट या जानकारी के समय कौन सा पक्ष वास्तविक कब्जे में था। हालाँकि, यदि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी भी पक्ष को उस तारीख से पहले दो महीने के भीतर बलपूर्वक और गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया है, जिस दिन उसे रिपोर्ट या जानकारी प्राप्त हुई थी या उस तारीख के बाद और उप-धारा (1) के तहत उसके

आदेश की तारीख से पहले, तो वह पक्ष को इस तरह से बेदखल कर सकता है, जैसे कि वह पक्ष कब्जे में था और वह इस तरह से बलपूर्वक और गलत तरीके से बेदखल किए गए पक्ष को कब्जे को बहाल करने का अधिकार रखता है और इस तरह के कब्जे के व्यवधान को प्रतिबंधित करने का आदेश पारित करता है, जब तक कि कानून के उचित पाठ्यक्रम में उसे बेदखल नहीं किया जाता है।

14. इसलिए, धारा 145 दं.प्र.सं के तहत जांच इस सवाल तक सीमित है कि रिपोर्ट या जानकारी की तारीख को वास्तविक कब्जे में कौन था, चाहे संपत्ति का स्वामित्व और उसे रखने का अधिकार कुछ भी हो। प्रावधानों का उद्देश्य एक त्वरित और संक्षिप्त उपाय प्रदान करना है ताकि समाधान के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विवाद प्रस्तुत करके शांति भंग को रोका जा सके, जैसा कि उस संपत्ति पर कब्जे के सवाल पर विवाद करने वाले पक्षों के बीच होता है। इस संबंध में, कोई निम्नलिखित न्यायिक पूर्वनिर्णयों का भी उल्लेख कर सकता है:

(i) अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य

(2013) 3 एस. सी. सी. 366

(ii) शरद यादव उर्फ गप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

2013 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4840

(iii) मधु शर्मा बनाम अजीत शर्मा

(2013) 2 गुवाहाटी लॉ रिपोर्ट 837

(iv) ब्रह्मपुत्र आयरन एंड स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. लि. बनाम प्रेमचंद तोलाराम बबना चैरिटेबल ट्रस्ट, असम, 2012 आप.एल.जे (एन. ओ. सी.) 375 (गौ)

(v) शांति कुमार पांडा बनाम शकुंतला देवी

(2004) 1 एस. सी. सी. 438

(vi) रणबीर सिंह बनाम दलबीर सिंह और अन्य

(2002) 3 एस. सी. सी. 700

(vii) प्रकाश चंद सचदेवा बनाम पी. आर. और अन्य

(1994) 1 एस. सी. सी. 471

(viii) चंदू नाइक बनाम सीताराम बी. नाइक

(1978) 1 एस. सी. सी 210

(ix) आर. एच. भूटानी बनाम मणि जे. देसाई

1968 एससीसी ऑनलाइन एससी 5

(x) भिका बनाम चरण सिंह,

ए. आई. आर 1959 एस. सी. 960

15. वैधानिक प्रावधानों से यह भी पता चलता है कि धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त रिपोर्ट या जानकारी के अनुसार, विषय संपत्ति के वास्तविक कब्जे से संबंधित विवाद के कारण सार्वजनिक शांति के उल्लंघन की आशंका के संबंध में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि है। ऐसी संतुष्टि धारा 145 (1) दं.प्र.सं के तहत किए गए प्रारंभिक आदेश में उल्लिखित आधार पर आधारित होनी चाहिए।

16. यह बताना भी उचित है कि सार्वजनिक शांति और शांति की अवधारणा भूमि संपत्ति के संबंध में उनके बीच निजी विवादों से उत्पन्न होने वाले कुछ व्यक्तियों के बीच तनाव के उदाहरणों की तुलना में बहुत व्यापक अवधारणा है। सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करती है। यदि किसी भी विवाद का प्रभाव केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित है जो विवाद के पक्षकार हैं, तो इस तरह का विवाद सार्वजनिक शांति और शांति के उल्लंघन की कोई आशंका नहीं दे सकता है। इस तरह के निजी दीवानी विवाद दीवानी न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय X के तहत असाधारण अधिकारिता कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक शांति और शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के उल्लंघन को शुरुआत में ही खत्म करने के लिए प्रदान किया गया है।

17. इसलिए, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों से अपेक्षा की जाती है कि वे धारा 145 दं.प्र.सं के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग केवल उन मामलों में करें जहां सार्वजनिक शांति और शांति के उल्लंघन की आशंका हो। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने और दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिकार क्षेत्र का रंगीन/छद्म प्रयोग अध्याय X दं.प्र.सं के उद्देश्य और भावना के खिलाफ होगा और यह दीवानी न्यायालयों को निरर्थक बना देगा और लोगों को अवैध और अनावश्यक कार्यवाही से परेशान किया जाएगा। हमारे कानूनी ढांचे में, शक्ति और अधिकार क्षेत्र को राज्य के विभिन्न साधनों के लिए परिभाषित किया गया है और किसी भी साधन से इसके अधिकार क्षेत्र को पार करने और दूसरों के

अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस संबंध में, कोई निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों का भी उल्लेख कर सकता है:

- (i) **मो. अंसारुद्दीन बनाम असम राज्य**
(2008) आप.एल.जे (एन. ओ. सी.) 479 (गौ)
- (ii) **क्रिस्टलिन कोस्टा बनाम गोवा राज्य**
1993 एमएचएलजे 1409
- (iii) **तरुलता देवी बनाम निखिल बंधु मिश्रा**
1982 एस. सी. सी. ऑनलाइन गौ 35

18. स्वामित्व और कब्जे के अधिकार के संबंध में विवाद का समाधान नागरिक कानून में निहित है और संबंधित पक्षों को अपने नागरिक अधिकारों और हितों के निर्णय के लिए नागरिक/सिविल न्यायालय का रुख करना आवश्यक है। उन्हें निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति के माध्यम से विषय संपत्ति की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश भी मिल सकता है। केवल सार्वजनिक शांति और शांति की आशंका को जन्म देने वाले पक्षों के वास्तविक कब्जे के बारे में विवाद दं.प्र.सं के अध्याय X के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है।

19. हाथ में मामले पर आते हुए, मुझे पता चलता है कि दिनांक 31.12.1988 के आदेश के अनुसार, जिसके तहत धारा 145 दं.प्र.सं के तहत विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है, यह केवल यह स्पष्ट करता है कि विवाद के दोनों पक्षों का विषय संपत्ति के स्वामित्व और उसके कब्जे के संबंध में प्रतिद्वंद्वी दावा है और विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने खुद को बिना किसी जांच के उस पर पक्षों के कब्जे का फैसला करने में सक्षम नहीं पाया और इसलिए, धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। हालाँकि, विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अपने प्रारंभिक आदेश में उल्लेख नहीं किया है कि कब्जे के संबंध में विवाद के कारण, सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना थी, ऐसी आशंका के लिए किसी भी आधार का उल्लेख करना तो दूर की बात है।

20. मैंने पहले ही कहा है कि केवल पक्षों के वास्तविक कब्जा के संबंध में विवाद जो सार्वजनिक शांति और स्थिरता की आशंका को जन्म देता है, दं.प्र.सं के अध्याय X के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह भी माना गया है कि धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त रिपोर्ट या जानकारी के अनुसार, विषय संपत्ति के वास्तविक कब्जे

से संबंधित विवाद के कारण सार्वजनिक शांति के उल्लंघन की आशंका के संबंध में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि है। ऐसी संतुष्टि धारा 145 (1) दं.प्र.सं के तहत दिए गए प्रारंभिक आदेश में उल्लिखित आधार पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान मामले में, प्रारंभिक आदेश में इस तरह के किसी भी विवाद का उल्लेख नहीं किया गया है, न ही सार्वजनिक शांति के उल्लंघन की आशंका के संबंध में विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि का उल्लेख किया गया है।

21. यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि कथित तथ्य और परिस्थितियाँ एक निजी दीवानी विवाद का गठन करती हैं जिसका निर्णय केवल दीवानी न्यायालय में ही किया जा सकता है। विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट को धारा 145 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही शुरू करने के बजाय, पक्षों को अपने अधिकारों के निर्णय के लिए दीवानी अदालत जाने की सलाह देनी चाहिए थी।

22. इसलिए, मैंने पाया कि धारा 145 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट के लिए कोई अवसर नहीं था। यह सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अतिक्रमण करने वाली शक्ति का रंगीन/छद्म प्रयोग कुछ भी नहीं था। इसलिए, यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग था और रद्द और निरस्त करने के लिए उत्तरदायी था।

23. तदनुसार, 2001 के आपराधिक संशोधन संख्या 44 में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-VI, सिवान द्वारा पारित दिनांक 30.11.2018 के विवादित आदेश और विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई धारा 145 दं.प्र.सं के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द और निरस्त किया जाता है।

24. यदि सलाह दी जाती है तो पक्षकार अपने अधिकारों के निर्णय के लिए दीवानी न्यायालय का रुख करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(जितेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त

व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।